VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M
N 19 DEC 2021
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1516)

Name of Candidate	Puran (पुरन)		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	73273
Center	M.N.	Date	19/12/21

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1(a)	10	
1(b)	10	
2(a)	10	
2(b)	10	
3(a)	10	
3(b)	10	
4(a)	10	
4(b)	10	
5(a)	10	
5(b)	10	
6(a)	10	
6(b)	10	
6(c)	10	
7	20	
8	20	
9	20	
10	20	
11	20	
12	20	

Total Marks Obtained:

Remarks:

Signature of Examiner

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWELVE** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बारह प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

SECTION – A

1. (a) Do laws need to be consistent with the prevalent moral norms? Discuss with examples. (150 words) 10

क्या कानूनों को प्रचलित नैतिक मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए? उदाहरण सहित चर्चा कीजिए।

'कानून', किसी 'राज्य' की विधायिका द्वारा पारित नियम या मानदण्ड होते हैं, जो सही-गलत का निर्धारण करते हैं।

वहीं 'नैतिक मानदण्ड', नैतिकता पर आधारित मानदण्ड होते हैं, जो नैतिक नियमों के आधार पर सही-गलत का निर्णय करने में सहायता करते हैं।

कई बार 'कानून', प्रचलित नैतिक मानदण्डों के अनुरूप होते हैं, जैसे 'बाल-श्रम' नैतिक रूप से गलत है तथा इसके विरुद्ध 'बालश्रम निरोधक कानून' भी विद्यमान है।

वहीं कानून एवं नैतिक मानदण्ड सदैव परस्पर अनुरूप हो, ऐसा भी आवश्यक नहीं है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कुछ समय पूर्व तक 'समलैंगिकता', IPC धारा-377 के तहत गैर-कानूनी थी, हालाँकि कई विदेशी समाजों में इसे नैतिक स्वीकृति प्राप्त थी।

इस रूप में यद्यपि नैतिक मानदंड कई दफा कानूनों के निर्माण में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते है, किंतु सदैव ऐसा नहीं होता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. **(b)**"People's indifference is the best breeding ground for corruption to grow". Comment. **(150 words) 10**

"लोगों की उदासीनता भ्रष्टाचार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति है।" टिप्पणी कीजिए।

'भ्रष्टाचार' का शाब्दिक अर्थ है- भ्रष्ट आचरण करना।

प्रशासन में इसे "प्रशासनिक सेवा के कर्तव्यों के निर्वहन में मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कारणों से विचलन" के रूप में परिभाषित किया जाता है।

लोगों की उदासीनता : भ्रष्टाचार में वृद्धि के लिये अनुकूल :-

↳ प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही को कम करती है।

↳ भ्रष्टाचार के कारण दण्ड या कानूनी कार्यवाई के भय में कमी

↳ इससे "भ्रष्टाचार के सांस्कृतिकरण" (कौटिल्य बक्) को बढ़ावा मिलता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ 'बैंडवैगन प्रभाव' एवं 'डोमिनो प्रभाव' के कारण अन्य अधिकारी भी भ्रष्टाचार के लिये प्रोत्साहित होते हैं।

उपाय :-

↳ RTI जैसे कानूनों के प्रति जागरूकता का प्रचार-प्रसार (वर्तमान में केवल 2% जनता द्वारा प्रयोग)

↳ आमजन को भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों से अवगत कराना

↳ भ्रष्टाचार को उजागर करने हेतु पर्याप्त कानूनी संरक्षण (जैसा कि "व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम, 2011 में प्रदत्त)

भ्रष्टाचार, प्रशासन में दीमक की तरह है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने भी भ्रष्टाचार पर रोकथाम में 'नागरिक भागीदारी' के महत्व को रेखांकित किया है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. (a) In the context of COVID-19 pandemic, discuss the importance of Emotional Intelligence among healthcare workers. **(150 words) 10**

कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, स्वास्थ्य कर्मियों के बीच भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व पर चर्चा कीजिए।

'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' से तात्पर्य है अपनी व दूसरों की भावनाओं को जानना, समझना तथा उनका सकारात्मक प्रबंधन करने की क्षमता। (डैनियल गोलमैन)

तत्व – आत्म प्रबंधन, आत्म जागरूकता, प्रेरणा, इत्यादि।

कोविड-19 महामारी : स्वास्थ्यकर्मियों हेतु महत्व :

↳ संक्रमण संबंधी आशंकाओं के प्रति मजबूत इच्छा शक्ति (अभिप्रेरणा)

↳ मरीजों की भावनाओं व क्वारंटीन के प्रति संशय को समझना (सामाजिक जागरूकता)

↳ कार्यक्षेत्र पर तनावपूर्ण स्थितियों व 24 घंटे काम के बोझ के प्रति तनावशीलता (आत्म प्रबंधन)

↳ कार्यक्षेत्र (अस्पताल) व निजी जीवन में संतुलन बनाये रखना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ मरीजों की हालत एवं मौतों को देखकर बिना घबराये मानसिक मजबूती दिखाना।

↳ लगातार अपने पेशेवर कर्तव्य का पालन करते रहना।

इस रूप में कोविड-19 में विशेषकर स्वास्थ्यकर्मियों के नजरिये से 'भावनात्मक बुद्धिमता' का महत्व पुनः दिखा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. (b) It is the 'spirit of service' that motivates a public servant to serve the country's interests and address people's issues. Discuss. (150 words) 10
'सेवा की भावना' एक लोक सेवक को देश के हितों की पूर्ति और जन समस्याओं के समाधान हेतु प्रेरित करती है। चर्चा कीजिए।

'सेवा की भावना' से तात्पर्य बिना किसी निजी स्वार्थ, लोभ या लालच के राष्ट्रहित एवं आमजन के हितों की रक्षा हेतु स्वयं को पूर्ण रूपेण समर्पित करना।

जैसा कि महात्मा गाँधी ने स्वयं को 'अस्पृश्यों की सेवा' एवं मदर टेरेसा को 'कुष्ठ रोगियों' की सेवा में 'सेवा की भावना' से वशीभूत होकर ही समर्पित किया।

एक 'लोक सेवक' के लिये भी 'लोकसेवा', मात्र एक 'पेशा' या 'नौकरी' न होकर 'जनसेवा' एवं 'राष्ट्र सेवा' के वृहद मूल्यों को धारण करने वाली होनी चाहिये।

'लोक सेवक' का अर्थ ही है - लोगों की सेवा करने वाला।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

एक लोकसेवक का कर्तव्य है कि वह आमजनता की चिंताओं को दूर करे, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर समग्र रूप में राष्ट्रहित का कार्य करे।

लेकिन यदि 'लोकसेवक' में सेवा की भावना नहीं होगी, तो वह 'अग्र नागरिक' होकर कार्य नहीं करेगा, बल्कि इसे मात्र नौकरी समझकर औपचारिकता पूरी करेगा। ऐसा लोकसेवक किसी गरीब या पीड़ित या महिला की संवेदनाओं को अनुभव भी नहीं कर पायेगा और मात्र एक "रोबोटिक अधिकारी" बनकर रह जायेगा।

अतः 'सेवा की भावना' ही वह भावना है, जिसके माध्यम से एक लोकसेवक लोगों के कष्ट को दूर करने व राष्ट्र सेवा हेतु आगे बढ़कर प्रयास करेगा जैसा कि मणिपुर के युवा IAS अधिकारी "आर्मस्ट्रांग पाम" ने 'क्राउड फंडिंग' के माध्यम से गाँव वालों के लिये 100 किमी. सड़क का निर्माण करवाया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. **(a)** Ethics does its work in the world by granting and withdrawing legitimacy. Discuss in the context of role of ethics in international relations. **(150 words) 10**

नैतिकता विश्व में वैधता प्रदान करने और वापस लेने के माध्यम से अपना कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की भूमिका के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

विश्व के विभिन्न देशों के मध्य बढ़ते संबंधों एवं व्यापार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया है।

नैतिकता की भूमिका

- मानवाधिकारों के रक्षण में → यूक्रेन, इराक में
- पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में :
  - → पेरिस समझौता (COP-21) → विकासित देशों का ऐतिहासिक उत्तरदायित्व (CBDR) (Common But Differential Responsibility)
- व्यापार पद्धतियों में :
  - एंटी डंपिंग ड्यूटी
  - गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बाधाएं (?) रुकावटें
  - SPS मानक (Sanitary & phyto sanitary)

↳ विश्व शांति में :-

↳ यू.एन. शांति मिशन

↳ वन्य जीवों के संरक्षण में :-

↳ CMS - कन्वेंशन - प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण

↳ बायोस्फीयर नेटवर्क (यूनेस्को)

↳ परमाणु हमले रोकने में

↳ "परमाणु अप्रसार संधि"

↳ 'न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (NSG)' पहल

इस रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता 'वैध मानकों' द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. **(b)** Sustainable growth of an organisation can result only by aligning its decisions to the interests of all stakeholders, not merely its shareholders. Do you agree? Justify with logical arguments. **(150 words) 10**

किसी संगठन का सतत विकास केवल सभी हितधारकों के हितों से अपने निर्णयों को संरेखित करने से ही हो सकता है, न कि केवल हितधारकों को जोड़ने से। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ औचित्य सिद्ध कीजिए।

संगठन के 'शेयरधारक' से तात्पर्य है, संगठन के निवेश में जिनका हिस्सा है। वहीं 'हितधारक' से तात्पर्य हैं, वे तमाम सजीव या निर्जीव कारक जिनके हित संगठन के कार्यों से जुड़े हैं।

जहाँ 'शेयर धारक' प्रत्यक्ष रूप से संगठन की प्रगति में योगदान देते हैं, वहीं कई अन्य अप्रत्यक्ष कारक भी होते हैं जो संगठन की प्रगति में अन्य योगदान देते है, जैसे - ग्राहक, आस पास का वातावरन, जमीन देने वाले आदिवासी लोग, इत्यादि।

निश्चित रूप से 'हितधारक' एप्रोच को अपनाकर ही संगठन अपनी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समग्र उन्नति सुनिश्चित कर सकता है।

जैसे यदि कोई संगठन आदिवासियों को भूमिअधिग्रहण का पर्याप्त मुआवजा नहीं देगा या उन्हे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की बुनियादी सुविधायें नहीं देगा, तो समाज में विरोध के माध्यम से विकास को बाधित करने से संगठन की प्रगति बाधित होगी।

वहीं यदि संगठन, पर्यावरण संरक्षण को महत्व नहीं देगा, तो आने वाले समय में 'पर्यावरण प्रदूषण' की रोकथाम उपायों की लागत कंपनी के आर्थिक लाभ को ही कम करेगी।

वास्तव में इसे ध्यान रखते हुये ही भारत सरकार ने 'कंपनी अधिनियम 2013' में संशोधन कर अनिवार्य CSR (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व - 2%) का प्रावधान किया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. (a) Shri Lal Bahadur Shastri's life exemplifies value-driven public service of the highest order. What are the values one can learn from his life to be a good citizen and a good administrator? (150 words) 10

श्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन उच्चतम स्तर की मूल्य-संचालित सार्वजनिक सेवा का उदाहरण है। एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए उनके जीवन से कौन-से मूल्य सीखे जा सकते हैं?

श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिनके सादगीपूर्ण जीवन ने सार्वजनिक क्षेत्र में प्रेरणादायी प्रतिमान स्थापित किये।

अच्छा नागरिक व प्रशासक बनने हेतु उनके जीवन मूल्यों से सीख :-

---

1. **सादगी** :-
   - अत्यंत सादगी पसंद
   - एक बार विदेश दौरे पर 'नया कोट' लेने के बजाय, 'फटे कोट' को ही पुनः सिलवा पहनकर गये।

2. **ईमानदारी** :-
   - आम धारणा के विपरीत राजनीति में रहते हुये भी अत्यंत ईमानदार

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ निजी हित व सार्वजनिक हितों का सदैव अन्तर रखा

↳ भ्रष्टाचार का कोई आरोप कभी नहीं लगा।

(3.) सत्यनिष्ठा :

↳ जीवनपर्यन्त 'सत्यनिष्ठा' का कठोर पालन

↳ एक बार बच्चों द्वारा 'सरकारी कार' का उपयोग करने पर उन्हें समझाते हुये, अपने सचिव से इस यात्रा का खर्च अपने निजी खर्च में जोड़ने को कहा।

इस तरह से अनेकों ऐसे प्रसंग हैं, जिनके माध्यम से लालबहादुर शास्त्री जी ने सादगी, सत्यनिष्ठा व ईमानदारी का व्यवहारिक पालन कर न केवल राजनेताओं व प्रशासकों बल्कि आमजन को भी प्रेरित किया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. **(b)** There is a view that the institutional mechanisms to ensure accountability of civil servants have weakened over time. In this context, discuss the need of a social accountability law in India. **(150 words) 10**

यह विचार व्यक्त किया जाता है कि लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र समय के साथ कमजोर हो गया है। इस संदर्भ में, भारत में एक सामाजिक जवाबदेही कानून की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

'सामाजिक जवाबदेही' से तात्पर्य है "प्रशासन के कार्यों का समाज या नागरिक भागीदारी के माध्यम से प्रत्यक्ष लेखांकन कर जवाबदेही तय करना।"

'सामाजिक जवाबदेही कानून' की आवश्यकता :-

↳ सरकारी योजनाओं की उचित समीक्षा हेतु

↳ प्रशासनिक जवाबदेही तय कर 'भ्रष्टाचार' में कमी लाने हेतु

↳ सरकारी योजनाओं का लाभ 'वास्तविक लाभार्थियों' तक बिना रिसाव के पहुँचाने हेतु

↳ एक 'सक्रिय लोकतंत्र' के रूप में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह :

↳ 2nd ARC ने भी 'प्रशासन में नैतिकता' नामक अपनी रिपोर्ट में 'नागरिक भागीदारी' बढ़ाने हेतु 'सामाजिक जवाबदेहिता' के संस्थानीकरण पर जोर दिया।

↳ हालहाल में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में इस संबंध में कानून लाने का वादा किया था, हालांकि सरकार के 3 वर्ष के बाद भी अभी तक कानून नहीं बन पाया है।
अतः सरकारें 'सुशासन' की ठोस पहलों के प्रति 'अग्रसक्रिय रवैया' (Pro-active approach) रखकर 'सामाजिक जवाबदेही कानून' लागू करें।

निश्चित रूप से 'सामाजिक जवाबदेही' जैसे कानून 'सुशासन' की दिशा में क्रांतिकारी साबित होंगे (RTI की तरह)।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. **(a)** Why has anonymity of civil servants traditionally been seen as an important arrangement? In this context, discuss your opinion on the doctrine of facelessness in civil services. **(150 words) 10**

परंपरागत रूप से लोक सेवकों की अनामिकता को एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में क्यों देखा गया है? इस संदर्भ में, लोक सेवाओं में अनामिकता के सिद्धांत पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

प्रशासन में एक लोकसेवक, सरकार एवं आमजन के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है जो स्वयं सामने न आकर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

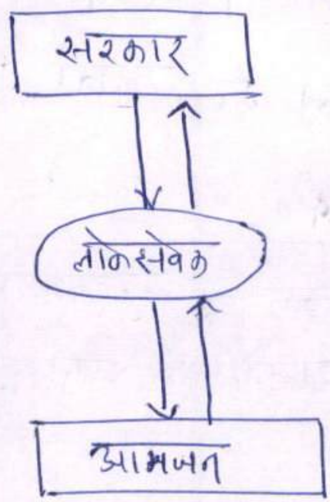

लोक सेवा में अनामिकता का सिद्धांत :

प्रासंगिकता (significance)

↳ सार्वजनिक हितों की प्राथमिकता
↳ 'निजी प्रसिद्धि' का मोह नहीं रहे
↳ 'राजनैतिक तटस्थता' बनी रहे

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ 'प्रशासक' भी ~~लोक~~ 'लोकसेवक' → एक व्यक्ति न होकर, 'संस्था' के रूप में प्रतिबिंब बने रहे

↳ निर्णय लेने में बाह्य प्रतिरोध (पक्षपात, प्रसिद्धि, लोभ) इत्यादि न्यूनतम बने रहे

विपक्ष में :

↳ जवाबदेही में कमी आती

↳ गैर- पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।

↳ इत्यादि के सिद्धांत के विपरीत

↳ कई प्रशासक के अच्छे कार्य का श्रेय राजनेता ले जाते हैं।

बावजूद इसके एक लोकसेवक का यह दायित्व है कि वह 'अनाम' रहकर बिना 'प्रोत्साहन' के लोभ के 'समर्पण -भाव' से लोकसेवा के आधारभूत मूल्यों का पालन करे।
सिविल सेवा आचरण संहिता, 1964 भी लोकसेवक से ही ऐसे ही आचरण की अपेक्षा करती है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. **(b)** In the age of social media, influencers have a huge following and have gained prominent marketing roles. In this context, discuss the ethical issues involved in influencer marketing. **(150 words) 10**

सोशल मीडिया के दौर में, प्रभावशाली लोगों के फॉलोअर्स बहुत बड़ी संख्या में हैं और उन्होंने अग्रणी मार्केटिंग भूमिकाएं प्राप्त कर ली हैं। इस संदर्भ में, प्रभावशाली लोगों द्वारा मार्केटिंग में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

आज का दौर निश्चित रूप से 'सोशल मीडिया क्रांति' का युग है।

वहीं पूंजीवाद ने 'सोशलमीडिया' के माध्यम से भी 'एक नये बजार' की स्थापना की है।

प्रभावशाली लोगों द्वारा मार्केटिंग में शामिल नैतिक मुद्दे :-

↳ 'आर्थिक लाभ' को अत्यधिक महत्व

↳ भ्रामक व तथ्यहीन प्रचार करना

↳ जैसे – कॉस्मेटिक उत्पादों के बारे में 'यूट्यूब ब्लॉगर्स' द्वारा बढ़ा-चढ़ा प्रचार करना

↳ "स्पोन्सर्ड प्रचार" के नये तरीके, जैसे -

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⇒ सेलिब्रिटी द्वारा उत्पादों का प्रचार ऐसे तरीके से किया जाता है कि आम जनता समझ नहीं पाती कि "यह विज्ञापन है"।

↳ फायदों को बढ़ा-चढ़ाकर बताना।

इस रूप में 'मार्केटिंग' के नये 'आयाम-स्वरूप' के रूप में 'सोशलमीडिया प्लेटफार्म' व 'इंटरनेट सेलिब्रिटी' पसंदीदा विकल्प बनते जा रहे हैं।

हालांकि इस संबंध में विनियमन का अभी तक अभाव है, अतः नैतिक व कानूनी आयामों को समझते हुये टी.वी. विज्ञापन की भाँति 'सोशलमीडिया विज्ञापनों' को भी कानून के दायरे में लाने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. What do each of the following quotations mean to you?

निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके लिए क्या अर्थ है?

(a) Every man must decide whether he will walk in the light of creative altruism or the darkness of destructive selfishness. – Martin Luther King Jr. **(150 words) 10**

"प्रत्येक व्यक्ति को यह तय करना होगा कि वह रचनात्मक परोपकारिता के प्रकाश में चलेगा या विनाशकारी स्वार्थ के अंधेरे में।" -मार्टिन लूथर किंग जूनियर

'मार्टिन लूथर' का यह वक्तव्य निश्चित रूप से परोपकारिता की राह दिखाने वाला है।

वास्तव में 'परोपकार' ही वह भावना है जो मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाती है।

एक व्यक्ति के रूप में हमारे 'निजी हितों' के अतिरिक्त समाज के वंचित समुदायों के प्रति भी हमारे नैतिक कर्तव्य है।

परोपकार की इसी भावना से प्रेरित होकर 'महात्मा गाँधी' ने 'हरिजन सेवा' व 'अस्पृश्यता उन्मूलन' को जीवन का लक्ष्य बताया।

मदर टेरेसा ने भी "रचनात्मक

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

परोपकारिता की इसी भावना से प्रेरित होकर ही 'कुष्ठरोगियों' की सेवा को अपने जीवन का ध्येय बना दिया।

वहीं कुछ लोगों के स्वार्थ ने मानवता को 'विनाश' के अंधेरे में धकेलने का प्रयास किया।
'हिटलर', 'लादेन' ऐसे ही स्वार्थी लोग थे जिन्होंने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिये लाखों लोगों की जान ले ली।

अतः मेरा मानना है कि व्यक्ति को जीवन में अपने हित के साथ ही 'परोपकार की भावना' का भी अनुपालन करना चाहिये ताकि बुद्ध और महावीर से लेकर गाँधी, भगतसिंह अंबेडकर से होते हुये भविष्य में भी मानवता का पथ-प्रदर्शन करें।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. **(b)** Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow. – A.P.J. Abdul Kalam **(150 words) 10**

"आइए, हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके।" - ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

ए.पी.जे अब्दुल कलाम बच्चों को राष्ट्र का भविष्य मानते थे।
इसी अर्थ में उन्होंने उपरोक्त पंक्तियाँ कही ताकि हमारे बच्चों के सुनहरे कल की नींव पर एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो सके।

मैं डॉ. कलाम की इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि यदि हमारे बच्चों के भविष्य के लिये हमें आज कुछ बलिदान करने पड़े, तब भी हमें उनके लिये तैयार रहना चाहिये।

स्वयं डॉ. कलाम एवं डॉ. बी. आर. अंबेडकर का उदाहरण हमारे सामने हैं। आपने जीवन का शुरुआती समस्त ध्यान केवल शिक्षा पर लगाया

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

इनके लिये इनके माता-पिता को कई त्याग भी करने पड़े।

लेकिन आगे चलकर वही डॉ. अंबेडकर भारत की 'संविधान प्रारूप समिति' के अध्यक्ष बने, तो डॉ. कलाम देश की महत्वकांक्षी मिसाईल परियोजना के निदेशक और बाद में देश के राष्ट्रपति।

ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं, जहाँ बच्चों की बुनियाद तैयार करने में किया गया 'त्याग', भविष्य में ब्याज समेत वापस लौटा है।

अतः आज हमारी, सरकार की, माता-पिता की एवं शिक्षकों की यही कोशिश होने चाहिये कि 'बच्चों' के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को किसी कीमत पर बाधित न होने दें।
ये बच्चे ही आगे चलकर अंबेडकर और कलाम बनेंगे।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. **(c)** I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. – B.R. Ambedkar **(150 words) 10**
"मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है।" -बी. आर. अम्बेडकर

डॉ. बी.आर. अंबेडकर का यह विचार समाज की प्रगति में महिला की भूमिका को रेखांकित करता है।

वास्तव में यह सच है कि महिलाओं की प्रगति यह दर्शाती है कि वह समाज कितना उदार, समावेशी, आधुनिक सोच से युक्त है।

महिलाओं की उन्नति न केवल उनकी खुद की उन्नति सुनिश्चित करती है, बल्कि बच्चों के सुनहरे भविष्य के रूप में संपूर्ण समाज की प्रगति की दिशा में अग्रसर करती है।

'भारतीय समाज' के दृष्टिकोण से डॉ. अंबेडकर का यह कथन अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि हाल में प्रकाशित 'विश्व आर्थिक मंच'

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

'लैंगिक भेदभाव सूचकांक' में भारत का स्थान 156 देशों में से 140 वाँ है।
यह भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव की दयनीय स्थिति की ओर इशारा करता है।

हालाँकि हाल के समय में ही लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने हेतु सरकार व प्रशासन ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों के माध्यम से व्यापक सफलता भी प्राप्त की है, जिसके कारण हाल में प्रकाशित NFHS-5 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे) में 'लैंगिक अनुपात' बढ़कर 1020 तक पहुँच गया है।

इस रूप में आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि व्यक्तिगत एवं संस्थानिक स्तर पर महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले ताकि महिलाओं की प्रगति के रथ पर सवार होकर समाज समान प्रगति की दिशा में आगे बढ़े।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

SECTION – B

In the following questions, carefully study the cases presented and then answer the questions that follow (in around 250 words):

7. You are a young officer posted as the Sub Divisional Magistrate in a district which houses factories for making match boxes and fire crackers. It is brought to your notice that a large number of children are working in these hazardous activities. The government had previously released a notification that owners of these manufacturing units need to report on the profiles of their employees annually to prevent child labour. These manufacturing units, abiding by the directives of the government, publish such reports annually and claim to have successfully put an end to employment of child labour. However, there are reports that these units are taking advantage of loopholes in the law. They are using contractors to continue to indirectly hire children without them officially being on the payroll of the units. Families of these child labourers are poor and see this as an essential source of income. An influential local politician also owns some of these manufacturing units and is known to put pressure on the officers involved for not taking any action against child labour.

(a) Identify the stakeholders and ethical issues in this case.

(b) How would you approach the problem and what would be the main elements of your action?

(c) What medium to long-term measures will you propose to tackle the problem of child labour in the district? **(20)**

आप एक युवा अधिकारी हैं जो ऐसे जिले में अनुमंडल दंडाधिकारी के पद पर तैनात हैं, जहां माचिस और पटाखे बनाने की फैक्ट्रियां अवस्थित हैं। आपके संज्ञान में लाया गया है कि इन खतरनाक गतिविधियों में बड़ी संख्या में बच्चे कार्य कर रहे हैं। सरकार ने पहले एक अधिसूचना जारी की थी कि इन विनिर्माण इकाइयों के मालिकों को बाल श्रम को रोकने के लिए वार्षिक रूप से अपने कर्मचारियों की प्रोफाइल के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। ये विनिर्माण इकाइयां, सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए, वार्षिक रूप से ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं और दावा करती हैं कि बाल श्रम के नियोजन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, ऐसी खबरें हैं कि ये इकाइयां कानून की त्रुटियों का लाभ उठा रही हैं। वे ठेकेदारों का उपयोग बच्चों को बिना आधिकारिक तौर पर इकाइयों के पेरोल पर नियोजित करके उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कार्य पर रखने के लिए कर रही हैं। इन बाल मजदूरों के परिवार निर्धन हैं और इसे आय का एक अनिवार्य स्रोत मानते हैं। एक प्रभावशाली स्थानीय राजनेता भी इनमें से कुछ विनिर्माण इकाइयों का मालिक है और बाल श्रम के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए इसमें शामिल अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए जाना जाता है।

(a) इस प्रकरण में शामिल हितधारकों और नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।

(b) आप इस समस्या के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाएंगे और आपकी कार्यवाई के मुख्य तत्व क्या होंगे?

(c) जिले में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए आप कौन-से मध्यम से दीर्घकालीन उपाय प्रस्तावित करेंगे?

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रस्तुत केस स्टडी बालश्रम की सामाजिक बुराई तथा कुछ फैक्ट्री मालिकों द्वारा बालश्रम निरोधक कानून के उल्लंघन के मुद्दे को रेखांकित करती है।

(a) प्रकरण में शामिल प्रमुख हितधारक

- बाल-श्रमिक
- विनिर्माण-इकाई मालिक, जो बालश्रमिकों को नियोजित कर रहे हैं।
- इन इकाईयों के कर्मचारी
- ठेकेदार
- बाल मजदूरों के परिवार
- स्थानीय राजनेता
- सरकार
- अनुमंडल दंडाधिकारी के रूप में (मैं)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नैतिक मुद्दे :-

1. कानून का अनुपालन बनाम कानूनी त्रुटियों का लाभ
2. 'बालश्रम' के रूप में सामाजिक व कानूनी बुराई
3. राजनैतिक दबाव बनाम लोकसेवा के कर्तव्य
4. बालश्रम बनाम निर्धनता

(b.) दृष्टिकोण तथा कार्यवाही के मुख्य तत्व :-

दृष्टिकोण :-

'बालश्रम' एक सामाजिक बुराई होने के साथ ही कानूनी रूप से भी अवैध है। बच्चें किसी भी समाज का भविष्य होते हैं। ऐसे में उन्हें 'पटाखा उद्योग' जैसे गंभीर प्रकृति के उद्योगों में बालश्रमिक के तौर पर कार्य करवाना गैर कानूनी होने के साथ ही अनैतिक भी है।

इस समस्या के प्रति मेरा एक SDM के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

रूप में दृष्टिकोण रहेगा कि 'बालश्रम' पर बिना किसी समझौते के पूर्ण लगाम लगे। साथ ही फैक्टरी मालिकों एवं ठेकेदारों पर कार्रवाई कर कड़ा संदेश भी दिया जाये, ताकि आगे ऐसी कानूनी त्रुटियों का लाभ उठाकर कोई 'बालश्रम' को प्रोत्साहित न करें।

कार्रवाई के मुख्य तत्व :-

1. SDM के रूप में शिकायत वाली फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर यथास्थिति की जानकारी लूँगा।
2. यदि 'बालश्रम' की घटना दिखायी पड़ती है तो फैक्ट्री मालिक व ठेकेदार के विरुद्ध कानून उल्लंघन हेतु 'भारी जुर्माना' लगाकर आगे की कार्रवाई के लिये पुलिस को प्रेषित करूंगा।
3. साथ ही संलग्न बाल श्रमिकों के पुनर्वास की भी व्यवस्था करूंगा ताकि उनके शिक्षण व भरण-पोषण की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।

(C) बालश्रम से निपटने के दीर्घकालीन उपाय :-

1. चूंकि 'बालश्रम' की पृष्ठभूमि में एक बड़ा कारन 'पारिवारिक निर्धनता' है, अतः SDM के रूप में मेरा प्रयास रहेगा कि इन परिवारों को निर्धनता-मुक्त करने हेतु सरकारी योजनाओं जैसे 'मनरेगा', 'अन्त्योदय अन्न योजना' इत्यादि का लाभ सुनिश्चित हो।

2. बच्चों के स्कूल में नामांकन के साथ संस्थाओं के ऐसे 'संभाव्य बच्चों' की निरंतर मानिटरिंग हेतु निर्देशित करूंगा।

3. 'बालश्रम मॉनिटरिंग दल' का गठन करूंगा जो मासिक रूप से गंभीर उद्योगों सहित अन्य विनिर्माण इकाईयों का आवधिक निरीक्षण करेंगे।

4. 'नागरिक समाज', NGOs, नाटक मंडलियों की सहायता से व्यापक जन-जागरण अभियान चलाकर 'सामाजिक जागरूकता' के माध्यम से बाल-श्रम उन्मूलन को प्रोत्साहित करूंगा।

5. "PENCIL" जैसे 'बालश्रम विरोधी' के ऑनलाईन पोर्टल पर शिकायत हेतु जागरूकता का प्रसार करूंगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Many states in India have experimented with prohibition of liquor at various times. However, it is common knowledge that many such states have a thriving illegal liquor industry. Moreover, it is ironical that while many political parties have prohibition prominently mentioned in their manifestos, it is politicians who distribute alcohol among voters during their election campaigns. This also gives rise to illicit liquor trade and many people lose their lives to it.

(a) What are the socio-economic problems that are widely attributed to alcoholism?

(b) Do you think prohibiting liquor creates more problems than it proposes to solve?

(c) Short of prohibition, what can be done to tackle the problem of rising alcoholism, particularly among the youth of the country? **(20)**

भारत में कई राज्यों ने अनेक बार शराबबंदी के प्रयोग किए हैं। हालांकि, यह सर्वविदित है कि इनमें से कई राज्यों में अवैध शराब उद्योग फल-फूल रहा है। इसके अतिरिक्त, यह विडंबना है कि जहां कई राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा-पत्र में शराबबंदी का प्रमुखता से उल्लेख किया है, वहीं राजनेता अपने चुनाव अभियानों के दौरान मतदाताओं के बीच शराब बांटते हैं। इससे अवैध शराब के धंधे को भी बढ़ावा मिलता है और कई लोग इससे अपनी जान भी गंवा देते हैं।

(a) ऐसी कौन-सी सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ हैं जिनका कारण व्यापक रूप से मद्यपान है?

(b) क्या आपको लगता है कि शराब पर प्रतिबंध लगाने से समस्याओं के समाधान की तुलना में अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं?

(c) प्रतिबंध के अभाव में, विशेषकर देश के युवाओं में बढ़ती शराब की लत की समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है?

प्रस्तुत केस स्टडी 'शराब' के सामाजिक आर्थिक व स्वास्थ्य के प्रति नुकसान के साथ ही, 'शराबबंदी' की 'व्यवहार्यता' के मुद्दे पर भी चर्चा करती है।

प्रमुख हितधारक :-

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

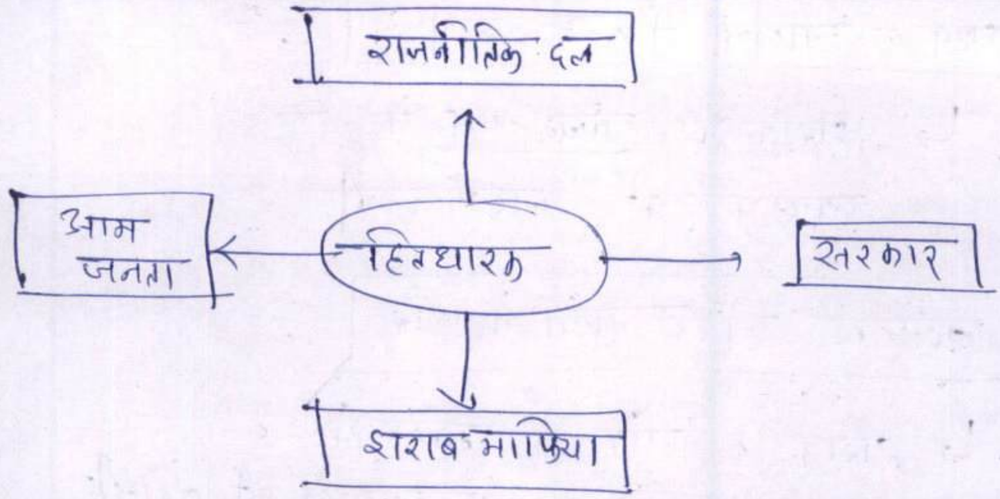

निहित मुद्दे :-

- अवैध शराब उद्योग (बनाम) शराब बंदी
- राजनीतिक दलों की कथनी व करनी में अंतर (घोषणापत्र (बनाम) प्रचार)
- जहरीली शराब से होने वाली मौतें

(a) मद्यपान के कारण होने वाली सामाजिक आर्थिक समस्यायें :-

1. निर्धनता
   ↳ गरीब, शराब पर खर्च के कारण और गरीब हो जाता है।

2. घरेलू हिंसा
   ↳ प्रायः देखा गया है कि शराब के नशे में व्यक्ति महिलाओं के साथ हिंसा करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3.) शिक्षा व स्वास्थ्य की नजरअंदाजगी :

↳ शराब पर अधिक व्यय से शिक्षा व स्वास्थ्य की नजरअंदाजगी

(4.) बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि :

↳ शराब के नशे में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में भी बढ़ोतरी

(5.) अपराधों में वृद्धि :–

↳ शराब हेतु धन की व्यवस्था न होने पर व्यक्ति गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं।

(b.) शराब पर प्रतिबंध लगाने से समस्याओं के समाधान की तुलना में अधिक समस्यायें ?

↳ हालाँकि शराबबंदी वाले राज्यों में प्राय: देखा गया है कि 'अवैध शराब उद्योग' व 'पड़ोसी राज्यों से शराब तस्करी' में वृद्धि होती है, जैसा गुजरात व बिहार के मामले में देखा गया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↳ किंतु इससे यह निष्कर्ष निकलना कि शराब पर प्रतिबंध, अधिक समस्याओं को जन्म देता है, तर्कसंगत नहीं है।

↳ वस्तुतः किसी भी कानून या सरकारी निर्देश का 'धरातलीय क्रियान्वयन' ही उसकी सफलता तय करता है।

↳ अतः 'शराबबंदी' एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यदि धरातल पर इसका क्रियान्वयन गंभीरतापूर्वक तथा पूर्ण प्रभावशीलता के साथ नहीं होगा, उस स्थिति में यह समस्यायें कम करने के बजाय बढ़ायेगा ही।

(c) यद्यपि 'शराबबंदी' अच्छा कदम होने की संभावना रखता है लेकिन तब भी यदि 'प्रतिबंध' के इतर अन्य उपायों पर गौर किया जाये, जो युवाओं में बढ़ती शराब की लत पर अंकुश लगा सकती है, तो ये अप्रतिबंधित हो सकते हैं —

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(1.) विशेषज्ञों के अनुसार 'नशीले पदार्थों' पर 'कर बढ़ाकर' युवाओं की आर्थिक पहुँच से इन्हें बाहर किया जा सकता है।

(2.) स्कूल- कॉलेजों में शराब व अन्य नशावृत्ति के विरुद्ध "व्यापक जागरूकता अभियान" चलाकर

(3.) स्कूल - कॉलेजों के निकट दायरों में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध, जो कि पहले से लागू भी है, का प्रभावी क्रियान्वयन कर के

(4.) शराब के आदी युवाओं का 'नशा मुक्ति केन्द्रों' के माध्यम से "पुनर्वास" करवा कर।

निश्चित रूप से भारत की आधी आबादी जो 28 वर्ष से कम है, भारत का भविष्य है। अतः हमारे "मानव संसाधन" को 'जनसांख्यिकी लाभांश' बनाने के लिये आवश्यक है कि शराब जैसी नशावृत्तियों से मुक्त कर उत्पादक कार्यों में संलग्न किया जाये।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. You are posted as a District Magistrate (DM) of a district where residents are facing the menace of stray dogs. Instances of dogs chasing two-wheelers, cyclists and attacking pedestrians are on the rise. Elderly persons as well as children are the worst-hit and recently, an 8 year old girl was severely injured by a pack of dogs. The perceived magnanimity of the problem and inaction from government authorities have prompted vigilante groups to cull dogs in mass numbers. However, local NGOs have come out against such a practice of mass culling and are calling for stringent action against those killing stray dogs.

(a) What are the ethical issues involved in the above case?

(b) As the DM, suggest short-term and long-term measures to tackle the above issue. **(20)**

आप एक ऐसे जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM) के रूप में तैनात हैं जहां के निवासी आवारा कुत्तों के खतरे का सामना कर रहे हैं। कुत्तों द्वारा दोपहिया वाहनों, साइकिल सवारों का पीछा करने और पैदल चलने वालों पर हमला करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। बुजुर्गों के साथ-साथ बच्चे भी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और हाल ही में कुत्तों के एक झुंड ने एक 8 वर्ष की बच्ची को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। समस्या की कथित भयावहता और सरकारी अधिकारियों की निष्क्रियता ने निगरानी समूहों को बड़ी संख्या में कुत्तों को मारने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि, स्थानीय गैर-सरकारी संगठन ने सामूहिक हत्या की इस तरह की प्रथा का विरोध किया है और आवारा कुत्तों को मारने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

(a) उपर्युक्त प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दे क्या हैं?

(b) DM के रूप में, उपर्युक्त मुद्दे से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव दीजिए।

उपरोक्त केस स्टडी आवारा कुत्ते के आतंक के मुद्दे पर चर्चा करने के साथ ही कुत्तों के 'पशु-अधिकारों' के संवेदनशील मुद्दे पर भी चर्चा करती है।

प्रमुख हितधारक

- 'राहगीर' - पैदल, साईकिल व दुपहिया वाहन
- 'आवारा कुत्ते'
- बुजुर्ग, बच्चों सहित स्थानीय निवासी
- निगरानी - समूह
- सरकारी अधिकारी
- गैर-सरकारी संगठन
- जिला-मजिस्ट्रेट के रूप में 'मैं'

(a) प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दे :-

1. कुत्तों से आमजन की सुरक्षा

(बनाम)

कुत्तों के पशु-अधिकार

2. सरकारी अधिकारियों की निष्क्रियता

↳ समस्या को न सुलझा पाने में

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(b.) **अल्पकालिक उपाय** :-

↳ विशेषज्ञों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र आवारा कुत्तों को पकड़कर 'पशु पुनर्वास केंद्रों' तक पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा।

↳ वहीं इस संबंध में कुत्तों की हत्या में संलिप्त 'निगरानी समूह' के सदस्यों पर नियमानुसार कार्यवाही के लिये अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करूंगा।

↳ कुत्तों की देखभाल व पुनर्वास में संलग्न NGOs की आवश्यकतानुसार सहायता लेंगे।

दीर्घकालिक उपाय :-

↳ निष्क्रिय अधिकारियों पर कार्रवाई कर सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में कोई भी ऐसे संवेदनशील व गंभीर घटनाओं को नजरअंदाज न करें।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2.) इस तरह की पशु आतंक की घटनाओं हेतु 'हेल्पलाईन' का निर्धारण कर त्वरित चिकित्सा निवारण प्रणाली का विकास करेंगा।

(3.) पशु NGOs, पशुअधिकार कार्यकर्ताओं व अन्य नागरिकों तथा पुलिस प्रशासन के साथ वार्ता कर एक 'स्थायी दिशा-निर्देशिका' तैयार करेंगे, जो संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्यवाही हेतु मार्गदर्शित कर सके।

—— x ——

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. You are a young officer posted as the Superintendent of Police (SP) in a district. You have received information that at a party some people were harassed by your subordinate police officer. On further inquiry, you came to know that two complaints have been filed – one by the police and the other by people who organised the party. According to the police, people had gathered without permission and were not following COVID-19 appropriate behaviour and social distancing norms. But on the other hand, the complaint filed by the party organisers says that police entered the private venue due to loud noise and harassed everyone at the party including women guests. According to them, your subordinate police officer even tore apart the document, which granted permission to organise the party. A video of this incident, showing your subordinate officer tearing off a document, is being widely circulated on social media platforms. Due to this, social activists want you to take strict action against your subordinate police officer.

(a) Identify the ethical issues in the case.

(b) What are the factors that can influence decision by competent authorities in such instances? Do you think mobilising public opinion through social media is a fair way to influence the decision in such cases?

(c) As the SP, what will be your course of action in this situation?

(20)

आप एक जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में तैनात एक युवा अधिकारी हैं। आपको सूचना मिली है कि एक पार्टी में आपके अधीनस्थ पुलिस अधिकारी ने कुछ लोगों को परेशान किया है। पूछताछ में, आपको ज्ञात होता है कि दो शिकायतें दर्ज की गई हैं - एक पुलिस द्वारा और दूसरी पार्टी का आयोजन करने वाले लोगों द्वारा। पुलिस के अनुसार, लोग बिना अनुमति के एकत्र हुए थे और वे कोविड-19 संबंधी उचित व्यवहार और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर पार्टी आयोजकों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि पुलिस अधिक शोर के कारण निजी स्थल में घुसी और महिला मेहमानों सहित पार्टी में शामिल सभी व्यक्तियों को परेशान किया। उनके अनुसार, आपके अधीनस्थ पुलिस अधिकारी ने उस दस्तावेज को भी नष्ट कर दिया, जिसमें पार्टी आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। इस घटना का एक वीडियो, जिसमें आपके अधीनस्थ अधिकारी को एक दस्तावेज़ को फाड़ते हुए दिखाया गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है। इसके कारण सामाजिक कार्यकर्ता चाहते हैं कि आप अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें।

(a) इस प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।

(b) ऐसे कौन-से कारक हैं जो ऐसे प्रकरणों में सक्षम अधिकारियों के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनमत जुटाना ऐसे प्रकरणों में निर्णय को प्रभावित करने का एक उचित तरीका है?

(c) SP के रूप में, इस स्थिति में आपकी क्या कार्रवाई होगी?

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपरोक्त केस स्टडी प्रशासन एवं आमजन के मध्य 'तनाव' की स्थिति तथा सोशलमीडिया पर प्रशासनिक अधिकारी (पुलिस) के विरुद्ध बढ़ते असंतोष के मुद्दे पर चर्चा करती है।

प्रमुख हितधारक :-

- जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में 'मैं'
- अधीनस्थ पुलिस अधिकारी
- पार्टी आयोजक कर्ता
- महिला मेहमान (पार्टी में)
- सोशल मीडिया
- सामाजिक कार्यकर्ता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(a) प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दे हैं —

(1.) पुलिस के रूप में कर्तव्य

बनाम

अधिकारों का दुरुपयोग

(2.) कोविड-19 मानदण्डों का अनुपालन

(3.) पार्टी में महिला मेहमानों के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा

(4.) सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

बनाम

वास्तविकता

(b.) कारक जो प्रकरणों में सक्षम अधिकारियों के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं —

(1.) सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

(2.) सामाजिक कार्यकर्ताओं का दबाव

(3.) महिला-दुर्व्यवहार का मुद्दा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के प्रति संव्यवहार संबंध

सोशल मीडिया के माध्यम से जनमत जुटाना :

↳ सोशल मीडिया आज एक जागरूक माध्यम बनकर उभरा है तथा इसने प्रशासनिक दुर्व्यवहार के कई मुद्दों को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है।
जैसे → हाल में कोविड-19 लॉकडाउन में त्रिपुरा में IAS अधिकारी द्वारा शादी में अनुपयुक्त व्यवहार दर्शाना।

↳ किंतु केवल मात्र सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो एवं सामाजिक दबाव के कारण निर्णय नहीं लिये जाने चाहिये।

↳ किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व 'गुणावगुण' के आधार पर 'वस्तुनिष्ठ' एवं 'तथ्यात्मक जाँच' अत्यावश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(c.) SP के रूप में मेरी कार्यवाई :-

↳ सर्वप्रथम ~~सामाजिक कार्य~~ पूरे मामले पर एक 'जाँच समिति' का गठन करूँगा, जो वायरल वीडियो सहित संपूर्ण मुद्दे की गहन तथ्यात्मक जाँच करेगी।

↳ साथ ही अधीनस्थ पुलिस अधिकारी व पार्टी आयोजकों के पक्षों को विस्तार से सुनूँगा।

↳ वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता कर उन्हें समझाऊँगा कि पूरे प्रकरण की जाँच प्रक्रियाधीन है, अतः निर्णय आने तक शांति व्यवस्था बनाये रखें।

↳ जाँच में जो भी दोषी पाया जायेगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई के लिये स्थानीय पुलिस प्रशासन को निर्देशित करूँगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. As India's vaccination drive against the COVID-19 pandemic breaches the 100 crore inoculation mark, some of the most backward tribal districts of the country still remain unvaccinated. You are the new District Magistrate (DM) in one such tribal district. The vaccination drive has been unsuccessful in the district so far despite imminent threats of the virus. It is believed that the tribals of the district refuse to get vaccinated due to their personal beliefs regarding immunization. Further, the community doctor who works in geriatrics and has almost daily contact with members of the district, too has refused to be vaccinated based on his personal beliefs. This has made the people more adamant about their decision to remain unvaccinated. Additionally, rumours of a few deaths post-vaccination have spread in the district. There is also a high risk of rising cases in the nearby districts spilling over to your district. There is a dire need for assuaging the fear of people and extreme pressure on the administration to take action and conduct the vaccination drive smoothly.

(a) What are the ethical issues in the given case?

(b) As the DM in charge, what steps will you take to tackle the issues?

(c) Discuss how persuasion can be used to convince people to voluntarily get vaccinated. **(20)**

जहाँ कोविड-19 महामारी के विरुद्ध भारत का टीकाकरण अभियान 100 करोड़ टीकाकरण के बिंदु को पार कर गया है, वहीं देश के कुछ सबसे पिछड़े आदिवासी जिले अभी भी टीकाकरण से वंचित हैं। आप ऐसे ही एक आदिवासी जिले के नए जिलाधिकारी (DM) हैं। इस वायरस के आसन्न खतरों के बावजूद जिले में टीकाकरण अभियान अब तक असफल रहा है। ऐसा माना गया है कि जिले के आदिवासी टीकाकरण के संबंध में अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के कारण टीकाकरण से मना करते हैं। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक चिकित्सक जो जराचिकित्सा में कार्य करता है और जिले के सदस्यों के साथ लगभग दैनिक संपर्क रखता है, ने भी अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर टीकाकरण से मना कर दिया है। इसने लोगों को टीकाकरण से नहीं जुड़ने के अपने निर्णय के बारे में और अधिक अडिग बना दिया है। इसके अतिरिक्त, जिले में टीकाकरण के बाद कुछ मौतों की अफवाह प्रसारित हो गई। आपके जिले से आस-पास के जिलों में मामलों के बढ़ने और वहां से आपके जिले में इसके प्रसार का उच्च जोखिम बना हुआ है। लोगों के भय को शांत करने और प्रशासन पर कार्रवाई करने एवं टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए दबाव बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

(a) दिए गए प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दे क्या हैं?

(b) प्रभारी DM के रूप में, इन समस्याओं से निपटने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे?

(c) चर्चा कीजिए कि लोगों को स्वेच्छा से टीकाकरण हेतु मनाने के लिए अनुनय का उपयोग कैसे किया जा सकता है।

प्रस्तुत केस स्टडी 'वैक्सीन हेजिटेंसी' के
मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने का प्रयास

करती है।

प्रमुख हितधारक :

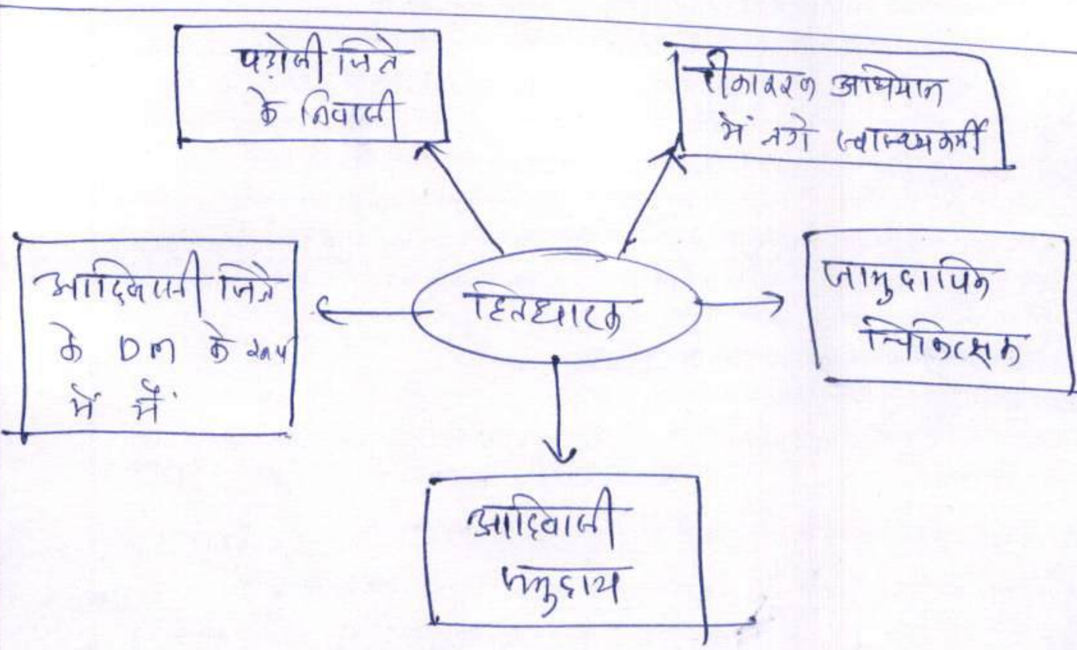

(a.) सम्मिलित नैतिक मुद्दे :-

1. 'वैक्सीन हेजिटेन्सी' का मुद्दा
2. टीकाकरण के प्रति फैली मिथ्या अफवाहें
3. संक्रमण का खतरा (बनाम) टीकाकरण के प्रति आशंकायें
4. 'सामुदायिक चिकित्सक' → व्यक्तिगत मान्यतायें (बनाम) पेशेवर कर्तव्य

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(b) DM के रूप में समाधान के कदम :-

↳ सर्वप्रथम 'ग्राम स्तर' पर 'प्रशासन' के माध्यम से 'जागरूकता अभियानों' का प्रबंध करवाऊंगा, जिससे आदिवासी समुदाय की शंकाओं का समाधान हो सके।

↳ 'सामुदायिक चिकित्सक' के साथ 'भावनात्मक बुद्धिमता' का उपयोग करते हुये चर्चा करूंगा कि उनकी व्यक्तिगत मान्यता के कारण लोगों में आशंकायें उत्पन्न हो रही है, अतः आगे आकर उदाहरण स्थापित करें व टीकाकरण के प्रति आशंकाओं को दूर करें।

↳ जहां तक संभव होगा मैं स्वयं अधिकाधिक गांवों का दौरा कर लोगों से अपील करूंगा।
साथ ही टीकाकरण करवा चुके प्रसिद्ध लोगों जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,

अमिताभ बच्चन व सचिन तेंदुलकर जैसे लोकप्रिय व्यक्तित्वों का उदाहरण देकर उनकी प्रशंसकों को इस ओर का प्रभावित करेगा।

(c) अनुनय का उपयोग :

↳ 'अनुनय' से तात्पर्य है स्पष्ट तर्कों एवं कारणों के माध्यम से अन्य लोगों को निश्चित व्यवहार या आचरण के लिये विनती करना।

↳ अनुनय के उपयोग के तीन प्रकार्य (अरस्तू)

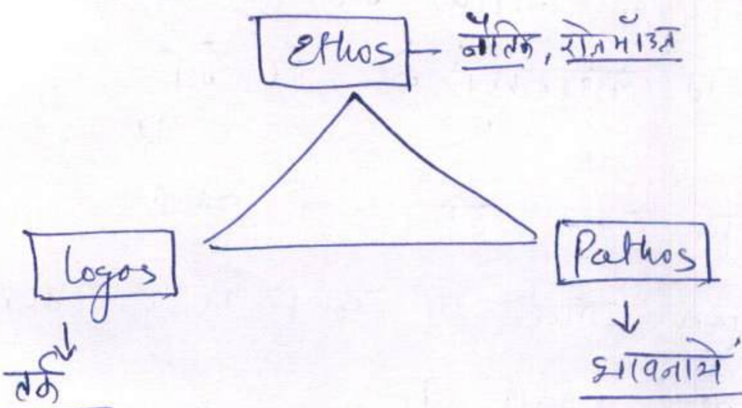

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

टीकाकरण हेतु उपयोग :

(↳) Ethos - अर्थात नैतिक व्यक्तियों व रोलमॉडल के उदाहरण देकर मनाऊंगा।
→ इसके लिये मैं स्वयं लोगों के सामने अपना टीकाकरण करवाऊंगा तथा सोशल मीडिया के माध्यम से इसे प्रचारित करूंगा।

(↳) Logos अर्थात 'तर्कों' के माध्यम से आदिवासी समुदायों को यह समझाऊंगा कि टीकाकरण ही संक्रमण की दर को कम कर मृत्यु से बचा सकता है।
↳ पूर्व के 'पोलियो टीकाकरण' के उदाहरण दूंगा।

(↳) Pathos अर्थात मैं आमजन से "भावुक अपील" करूंगा, विशेषकर माताओं-बहनों से क्योंकि वे अपेक्षाकृत संवेदनशील व भावुक होती हैं। वे बच्चों व पति को इसके लिये प्रेरित करेंगी।

साथ ही मैं स्थानीय आदिवासी नेताओं व धार्मिक मुखियाओं से अनुरोध कर उनसे टीकाकरण अभियान में जुड़ने का आग्रह करूंगा ताकि स्थानीय लोगों के भ्रम दूर हो सकें।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. In India, there exists a huge gap between demand for organ transplants and available donors, both living and cadaver. Besides a lack of awareness on organ donation, the rise of non-communicable and lifestyle diseases, such as hypertension and diabetes have led to increased instances of organ failure, in turn putting even more pressure on the demand for vital organs. According to reports, an estimated four lakh people die in India every year waiting for an organ transplant. Other than the legal and administrative issues, there are various ethical issues related to organ donation and transplantation in India. Provide an account of these ethical issues in detail. Also, discuss how the gap between demand and supply of organs in India can be closed. **(20)**

भारत में अंग प्रत्यारोपण की मांग और उपलब्ध दाताओं, जीवित और मृत दोनों के मामलों में, के बीच एक व्यापक अंतराल विद्यमान है। अंगदान के बारे में जागरूकता की कमी के अतिरिक्त, गैर-संचारी और जीवन शैली से संबंधित रोगों जैसे कि उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के बढ़ने से अंग विफलता के मामलों में वृद्धि हुई है, जिससे महत्वपूर्ण अंगों की मांग पर और भी अधिक दबाव पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग चार लाख लोगों की अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में मृत्यु हो जाती है। कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों के अतिरिक्त, भारत में अंग दान और प्रत्यारोपण से संबंधित विभिन्न नैतिक मुद्दे भी विद्यमान हैं। इन नैतिक मुद्दों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत कीजिए। साथ ही, चर्चा कीजिए कि भारत में अंगों की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतराल को कैसे समाप्त किया जा सकता है।

प्रस्तुत केस स्टडी 'अंग प्रत्यारोपण' की मांग एवं उपलब्धता के बीच अंतराल के अतिसंवेदनशील एवं मानवीय मुद्दों पर चर्चा करती है।

प्रमुख हितधारक :-

→ अंग प्रत्यारोपण के जरूरतमंद
→ अंग-दान दाता
→ स्वास्थ्यकर्मी

→ सरकार
→ प्रशासन (चिकित्सा)

निहित नैतिक मुद्दे :-

→ अंग प्रत्यारोपण के संबंध में जागरूकता का अभाव

→ अंग-प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उपयुक्त अवसंरचना का अभाव जैसे 'कोल्ड स्टोरेज' इत्यादि।

→ कुशल मानव संसाधन का अभाव

→ 'मानव अंग तस्करी' के रूप अनैतिक अपराध

→ निजी हित (बनाम) सार्वजनिक हित
 ↳ निजी अस्पतालों की लाभ की प्रवृत्ति
 ↳ मानव अंगों के महंगे दाम

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अंगों की मांग एवं आपूर्ति के मध्य अंतराल को समाप्त करने के उपाय :-

- आमजन के मध्य 'देहदान' एवं 'अंगदान' को लेकर पर्याप्त जागरूकता का प्रसार
- जीवनशैली से संबंधित बीमारियों से बचाव हेतु 'खान-पान' व शारीरिक गतिविधियों के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान
  - जैसे → 'फिट इंडिया' अभियान 'ईट राईट मूवमेंट' इत्यादि।
- अंग प्रत्यारोपण हेतु आवश्यक अवसंरचना का जिला अस्पतालों पर विकास
- स्वास्थ्य कर्मियों को अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षण के माध्यम से 'कौशल संवर्धन'।

भारत में हालांकि हाल के वर्षों में देहदान के प्रति प्रवृत्ति में शिक्षित वर्ग में जागरूकता देखने को मिली है, लेकिन तब भी आज भी अधिकांश जनसंख्या में 'देहदान' व 'अंगदान' के प्रति धार्मिक व सामाजिक भ्रांतिया फैली हुयी है, जैसे हिंदू-धर्म में अंतिम संस्कार, पिंडदान इत्यादि के संबंध तथा देहदान को लेकर भ्रम है।

अतः इसके प्रति जागरूकता हेतु 'स्वच्छ भारत अभियान' की तर्ज पर 'राष्ट्रीय स्तर' पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।